विद्यालय का नाम :- TAGORE SCIENCE RESIDENTIAL SCHOOL (P60757)　　　　आवेदन क्रमांक :- 40038

एनओसी कोड :- RJNGR31533

# कार्यालय निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सचिव केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केंद्र-2 सामुदायिक केंद्र प्रीत विहार दिल्ली एवं सचिव सी.आई.एस.सी.ई प्रगति हाउस तीसरी मंजिल 47-48 नेहरु पैलेस नई दिल्ली द्वारा सत्र 2021-22 हेतु सी.बी.एस.ई/सी.आई.एस.सी.ई नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के पत्रांक प.15(8)शिक्षा-1/2009 दिनांक 25/3/21 की पालना में गैर सरकारी विद्यालय को इस प्रमाण पत्र में अंकित सत्र एवं माध्यम के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्ति हेतु निम्न शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है :-

1. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्ष 2021-22 के लिए ही मान्य होगा।
2. विद्यालय /संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 तथा समय-समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावेगी।
3. विद्यालय /संस्था द्वारा राज्य / राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभाई जावेगी।
4. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बाल वाहिनी के क्रम में जारी किए गये दिशा-निर्देश की अक्षरश: पालना की जावेगी।
5. विद्यालय /संस्था द्वारा भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसरण में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों/ नियमों की अक्षरश: पालना की जाएगी।
6. विद्यालय /संस्था परिसर में मोबाइल टॉवर स्थापित नहीं करेगा।
7. राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम -2016 नियम 2017 में वर्णित शर्तो की पालना करेगा।
8. राज्य सरकार एवं राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय का समय-समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा समय-समय पर विभाग एवं शासन द्वारा वांछित रिकॉर्ड एवं दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
9. विद्यालय में दिव्यांग जनों के लिए रैम्प एवं अन्य आवश्यक सुविधाऐ उपलब्ध करवायी जावेगी।
10. भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना की जावेगी।
11. भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता होने पर विद्यालय भवन का अधिग्रहण/ उपयोग राजकीय कार्य के लिए किया जा सकेगा।

उपर्युक्त शर्तो की पालना नहीं किए जाने की स्थिति विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम -1989 एवं नियम 1993 के तहत विद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विद्यालय को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा। जिसके परिणामस्वरुप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संचालन नहीं कर सकेगी।

| विद्यालय का नाम | विभागीय मान्यता क्रमोन्नि स्तर | संबद्धता CBSE/CISCE | अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का सत्र | माध्यम |
|---|---|---|---|---|
| TAGORE SCIENCE RESIDENTIAL SCHOOL (P60757) | Sr.Secondary | CBSE | 2021-22 | English |

**Note :- The section and its records shall be opened for inspection by an officer/official of the board or an authorized representative of Board/State educational Department at any time and the school shall furnish information as may be asked for by the board /state Government from time to time.**

27.03.21

निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

नोट :NIC विभिन्न स्कूलों / डीईओ (मा.शि.)/ निदेशालय कार्यालय द्वारा इस वेबसाइट पर अपलोड किए गए डाटा की शुद्धता के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अस्वीकार करता है । डाटा में किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए स्कूल / डीईओ(मा.शि.)/ निदेशालय जिम्मेदार होंगे।

Generated from NIC-PSP(http://rajpsp.nic.in) Web-Portal On Dated: 27-03-2021

Print

Scanned with OKEN Scanner

विद्यालय - TAGORE SCIENCE RESIDENTIAL SCHOOL (P60757) आवेदन क्रमांक : 47745

मान्यता कोड : RJNGR34956

## कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक NAGAUR , राजस्थान

क्रमांक: शिविरा /मा.मु./मान्यता/2024-25/819 दिनांक 24-10-2024

सचिव

प्रबंध समिति

TAGORE SCIENCE RESIDENTIAL SCHOOL

**विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।**

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 47745 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, TAGORE SCIENCE RESIDENTIAL SCHOOL पता JUSARI ROAD ROOPPURA TORDA KUCHAMAN CITY ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय ROOPPURA TORDA ब्लॉक KUCHAMAN CITY आसा पासा (पूर्व -पश्चिम,उत्तर दक्षिण ) JUSARI ROAD खसरा न. 10521059106010631066 को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

| नाम परिवर्तन के लिए विवरण | |
|---|---|
| पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय का नाम | TAGORE SCIENCE RESIDENTIAL SCHOOL |
| स्वीकृत नवीन नाम | RR GURUKUL |

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)माध्यमिक,नागौर



Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

1. विद्यालय के नवीन मान्यता / क्रमोन्नति के आवेदनों के सम्बन्ध में भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही विद्यालय द्वारा स्वयं के स्तर पर की जावेगी। शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में संस्था संचालक की जिम्मेवारी होगी कि जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित है, वहां स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम, नगर परिषद्, विकास प्राधिकरण, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय आदि) से स्वयं नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही विद्यालय का संचालन करें।
2. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
4. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यत पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाऐं/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
6. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
7. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
8. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाऐंगे।
9. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाऐं प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाऐं संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
10. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 9 के साथ कक्षा 10/कक्षा11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।
11. गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत किसी भी विद्यार्थी का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीडन नहीं किया जावेगा। ऐसा आरोप प्रमाणित होने पर सम्बन्धित गैर सरकारी विद्यालय के विरूद्ध मान्यता/क्रमोन्नति वापिस लिए जाने की कार्यवाही की जावेगी।
12. Emblems and Name (Prevention of improper use) Act 1950 के तहत विद्यालय के नाम में इंटरनेशनल, इण्डियन, नेशनल, राष्ट्रीय प्रतीक एवं ध्वज, सेना/सैनिक इत्यादि शब्दो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अतः विद्यालयों नाम में इनका प्रयोग नहीं किया जावे, यदि विद्यालय के नाम में उक्त का अंकन है तो संस्था/विद्यालय को नाम परिवर्तन हेतु आगामी सत्र में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)माध्यमिक,नागौर

शिविरा/मा.मु./मा-पत्रा/2024-25/819

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद्, विकास प्राधिकरण, विकास न्यास, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय, हाउसिंग बोर्ड, आदि) को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि संस्था / विद्यालय भूमि के भूरूपान्तरण के सम्बन्ध में प्रचलित विभागीय शर्तो का स्वयं के स्तर पर परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करें।
5. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला शिक्षा अ.
(मुख्यालय)माध्यमिक



Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner